यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर** के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 06.08.2018 से 18.08.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रमोद चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2017 से 03.08.2017 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला ऊधम सिंह नगर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सालय आते हैं । जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**बचत/ समर्पण**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	384.94	322.72	270.51	267.54	62.22	2.96
2016-17	394.42	353.64	268.88	249.53	40.78	19.34
2017-18	346.98	330.38	151.89	110.71	16.60	41.18
2018-19 (07/18)	284.78	121.05	145.18	4.211	163.73	140.97

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु0 लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष**
2015-16	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	582.18	1963.99	1782.82	763.35
2016-17		763.35	1605.78	1710.84	658.29
2017-18		658.29	1531.63	1580.63	609.29*

*वित्तीय वर्ष 2017-18 मे NRHM Additionality मद मे रु. 50.00 लाख शासन को वापस किया गया

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, विगत लेखापरीक्षा (07/2017) से 07/2018) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो – "अ"

प्रस्तर 01: जिला पंजीकरण अथारिटी (डीआरए), उधमसिंह नगर द्वारा 22 नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण में विलंब होने पर रु. 25.42 लाख के आगणित अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना एवं नैदानिक स्थापनों से प्राप्त रु. 33.43 लाख की धनराशि का उपयोग उद्देश्यप्राप्ति हेतु नहीं किया जाना

The Uttarakhand Establishment (Registration & Regulation) Rules, 2015 Stipulates that to enforce the provisions of UERR Act 2010, the District Registering Authority (DRA) shall be constituted at each District level. (i) Fees[1] shall be deposited by the Authority in Nationalized Bank and shall be utilized for the activity connected with the implementation of the provisions of the Act. (ii) In the event of any change of ownership, the establishment shall intimate to the DRA in writing within one month along with prescribed fee. (iii) in case of delay in renewal, double amount of the renewal fee with a penalty of Rs. 100 per day till the date of application for renewal is accepted.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि नैदानिक स्थापनों को निर्गत अनन्तिम/स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बावजूद अनुस्मारक पत्र एक वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रेषित किया जा रहा था जबकि निर्गत अनन्तिम/स्थायी पंजीकरण समाप्त होने के पूर्व[2] में ही नैदानिक स्थापनों को लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने का प्रावधान है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर) द्वारा नैदानिक स्थापनों को नवीनीकरण हेतु पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पूर्व अनुस्मारक पत्र लिखे जाने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त नमूना लेखापरीक्षा जांच मे निम्नलिखित तथ्य संज्ञान मे आए-

1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर, रुद्रपुर द्वारा The Clinical Establishment Act (Registration & Regulation Act)-2010 एवं The Uttarakhand Establishment (Registration & Regulation) Rules, 2015 के प्रावधानों के अनुसार नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में विलंब होने की स्थिति में 18.08.2018 तक कोई भी अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया था। नमूना जांच में पाया गया कि 22 नैदानिक स्थापनों द्वारा 170 दिन से लेकर 1579 दिनों तक का विलंब हुआ, जिस पर गणना के आधार पर रु. 24.46 लाख + रु. 0.965 लाख अर्थात कुल रु. 25.42 लाख का अर्थदण्ड वसूला जाना चाहिए था। [Annexure-A]

   अर्थदंड की वसूली के संबंध में THE CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) ACT, 2010 का Ch.-VI (Rule-46) स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि -" Recovery of fine.—Whoever fails to pay the fine, the State Council of clinical establishment may prepare a certificate signed by an officer authorised by it specifying the fine due from such person and send it to the Collector of the District in which such person owns any property or resides or carries on his business and the said Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified there under, as if it were an arrear of land revenue."
2. बिना पंजीकरण संचालन कर रहे नैदानिक स्थापनों पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त गैर-पंजीकृत नैदानिक स्थापनों का डाटाबेस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं था, जबकि District Registration Authority (convener) होने के कारण

[1] Prescribed in Format-05 of the Rule

[2] अनन्तिम पंजीकरण प्रमाणपत्र पत्र की वैधता समाप्त होने से 1 माह पूर्व एवं स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से 6 माह पूर्व

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर की ज़िम्मेदारी थी कि CEA-2010 के प्रावधान के अनुसार सभी नैदानिक स्थापनों का ब्यौरा रखें।

3. UCERR-2015 का नियम-17(5) स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण हेतु प्राप्त शुल्क का उपयोग केवल इस कानून से जुड़े प्रावधानों को लागू करने हेतु किया जाएगा -जैसे इस कानून से जुड़े प्रावधानों का प्रचार-प्रसार, औचक निरीक्षण का यात्रा बिल इत्यादि। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि District Registration Authority, उधमसिंह नगर के खाते में दिनांक 04.08.2018 तक कुल रु. 33.43 लाख अवशेष था। इस धनराशि को नियमानुसार उपयोग मे नहीं लाया जाना UCERR2-2015 के प्रावधानों के विपरीत है जो कि कार्यालयी शिथिलता को दर्शाता है।

   उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर कि UCERR2-2015 के प्रावधान के अनुसार पंजीकरण समाप्त होने के 1-3 माह पूर्व ही नैदानिक स्थापनों को पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करना था, परंतु 170 दिन से लेकर 1579 दिनों तक का विलंब होने के बावजूद कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया गया; इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। अर्थदण्ड 03 स्थानों पर आरोपित किया गया, परंतु वसूली किसी से भी नहीं किया जा सका। उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 22 नैदानिक स्थापनों द्वारा पंजीकरण में विलंब होने पर रु. 25.42 लाख के आगणित अर्थदण्ड की वसूली भू-राजस्व के एरिअर के रूप में की जानी थी एवं असफल रहने पर सम्पूर्ण प्रकरण कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को अग्रेषित की जानी थी, जिसमे कार्यालय द्वारा शिथिलता/उदासीनता बरती गई और वसूली नहीं किए जाने की स्थिति मे प्रकरण को UCERR2-2015 के प्रावधान के अनुसार जिलाधिकारी के संज्ञान मे नहीं लाया गया।

   इस प्रकार जिला पंजीकरण अथारिटी (डीआरए), उधमसिंह नगर द्वारा 22 नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण में विलंब होने पर रु. 25.42 लाख के आगणित अर्थदण्ड की वसूली नहीं किए जाने एवं नैदानिक स्थापनों से प्राप्त रु. 33.43 लाख की धनराशि का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति हेतु नहीं किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर:1- विभागीय उदासीनता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यो का अप्राप्त रहना तथा आकड़ों मे भिन्नता ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम मे महिला एवं पुरुष नसबंदी तथा कापर टी वितरण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। महिला नसबंदी हेतु प्रोत्साहन राशि रुपए 2000.00 तथा पुरुष नसबंदी हेतु रुपए 2700.00 प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबन्धित अभिलेखो के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जनपद ऊधम सिंह नगर मे उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 मे महिला नसबंदी रुपए 3395098.00(सामान्य नसबंदी पर रुपए 2889585 एवं कैंप नसबंदी पर रुपए 505513.00)तथा पुरुष नसबंदी पर रुपए 77500.00 की धनराशि का व्यय दर्शाया गया था, परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति अति-न्यून थी तथा प्रश्नगत कार्यक्रम मे हुए व्यय के सापेक्ष भौतिक प्रगति के आकड़ों मे तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की रिपोर्ट मे दिये गए आकड़ों मे भिन्नता थी।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण निमन्वत था-

अवधि	**योजना का नाम**	**कार्यक्रम**	**निर्धारित लक्ष्य**	**उपलब्धि (20 सूत्रीय)**	**उपलब्धि का प्रतिशत**	**कमी की संख्या व %**	**HMIS के अनुसार उपलब्धि**
2017-18	**परिवार कल्याण**	**1-महिला नसबंदी 2-पुरुष नसबंदी**	4562	1373	30	3189 (70)	1353 34
		कापर टी	25255	11227	44.45	4028 (55.55)	11227
2018-19		**1-महिला नसबंदी 2-पुरुष नसबंदी**	4562	234	5.13	4328 (94.87)	41 0
		कापर टी	25255	2941	11.64	22314(88.36)	418

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गतनिर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति अत्यन्त कम थी। महिला व पुरुष नसबंदी कार्यक्रम मे वर्ष 2017-18 मे उपलब्धि मात्र 30 प्रतिशत थी और कापर टी कार्यक्रम की उपलब्धि मात्र 44.45 प्रतिशत थी, इसी प्रकार वर्ष 2008-19 में जुलाई 2018 तक महिला व पुरुष नसंबदी कार्यक्रम में उपब्धी मात्र 5.13 प्रतिशत थी और कापर टी कार्यक्रम की उपलब्धी मात्र 11.64 प्रतिशत थी। जो कार्यक्रम के असफल क्रियान्वयन एवं विभागीय उदासीनता का परिचायक था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन के आकड़ों मे भिन्नता थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम मे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि अत्यन्त कम थी तथा उक्त कार्यक्रम मे हुए व्यय, तथा व्यय के सापेक्ष उपलब्धि के आकड़ों मे भी भिन्नता थी, जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम परिवार कल्याण के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न किया जाना विभागीय उदासीनता एवं कार्यक्रम के असफल क्रियान्वयन का परिचायक था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कई विभागीय कार्यक्रमों के संचालन एवं मानव संसाधन की कमी के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मानव संसाधन की कमी थी तो उसे निदेशालय के संज्ञान मे लाया जाना चाहिए था।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यो के अप्राप्त रहने तथा आकड़ों मे भिन्नता का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रु. 144.89 लाख की धनराशि अनुपयोगी रहना तथा प्रश्नगत मदों मे कोई भी कार्य संपादित नहीं कराया जाना।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में रोगियों के उपचार हेतु सहायक, समर्थ, प्रभावकारी, एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधायें तथा संसाधन विशेष रूप से उत्तराखण्ड में रह रही गरीब जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना है। इसका उद्देश्य योजनाओं का संचालन करने एवं समाज को इन योजनाओं में सम्मिलित है, जिससे शिशु मृत्यु दर को कम करना है । राज्य मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा-राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, वैक्टर जनित रोग उन्मूलन कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता निवारण कार्यक्रम, परिवार कल्याण एवं मातृ-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। राज्य मे संचारी व गैर-संचारी रोगों के प्रसार मे एवं निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट प्रभावी तौर पर क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण, एच॰आई॰वी॰/एड्स के प्रति जागरूकता मे वृद्धि तथा नियमित टीकाकरण जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संपादित करना है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायितत्व है कि उक्त कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करे और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर के राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम के निष्पादन मे शिथिलता बरती गयी और निम्नलिखित कार्यक्रम के अन्तर्गतवर्ष 2017-18 मे न तो कोई गतिविधि की गयी और न ही कोई धनराशि का व्यय किया गया, जिसका विवरण निमन्वत था -

FMR Code	**Head Budget RCH-II Flexible pool**	**OB**	**Grant Receive**	**Total Available Funds**	**Expenditure**	**CB**
A.1.5.2	Line listing of the women with blood disorders	74950	00	74950	00	74950
A.1.5.4	PMSMA activates at state	00	50000	50000	00	50000
A.5.8	Incentive for safe abortion	5633	71850	77483	00	77483
A.1.6.5.1	Antenatal screening of all pregnant women	275491	00	275491	00	275491
A.2.4.1	Under MAA programme	00	50000	50000	00	50000
A.3.2.4	FAIUCD Services	00	147000	147000	00	147000
A.3.2.5	IUCD services	00	25000	25000	00	25000
A.3.4	Repair of laparoscopes	10000	25000	35000	00	35000
A.3.5.1	Orientation workshop, QAC meetings	20000	00	20000	00	20000
A.3.5.2	FP review meetings	11850	00	11850	00	11850
A.3.6	Family planning Indemnity	120000	00	120000	00	120000
A.4.1.1	Workshop under RKSK	00	20000	20000	00	20000
A.5.1.4	Operation cost of DEIC	480000	00	480000	00	480000
A.9.3.7.2	Assessment of skill of all ANM and staff Nurses	251345	00	251345	00	251345
A.9.3.7.6	One day training	17467	00	17467	00	17467
A.9.5.5.1	NSSK Training	276443	00	276443	00	276443

A.9.5.5.2.c	MAA Programme/04 days training	1048445	00	1048445	00	1048445
A.9.6.1.2	Laparoscopic Sterilization	102900	00	102900	00	102900
A.9.6.2.2	Minilab training for medical officer	107400	00	107400	00	107400
A9.12	RBSK and school health training	1119568	00	1119568	00	1119568
A.10.1.11	Others	161947	168000	329947	00	329947
A.10.6	Concurrent Audit system	140868	00	140868	00	140868
	Total	4224307	556850	4781157	0	4781157
FMR Code	**Head Budget NRHM Additionalites**	**OB**	**Grant Receive**	**Total Available Funds**	**Expenditure**	**CB**
B.1.1.1.5	Training	34696	140753	175449	00	175449
B.1.1.3.2.5	Incentive for follow up	25800	00	25800	00	25800
B.1.1.3.2.6	ASHA Incentive for MAA	00	494000	494000	00	494000
B.1.2	Certification of ASHA by NGOs	00	122000	122000	00	122000
B4.1.1	Strengthening of District Hospital	840614	00	840614	00	840614
B4.1.4	Sub centre	97000	00	97000	00	97000
B.5	New constructions	5303974	00	5303974	00	5303974
B.10.3.4.3	Scheme for promotion of menstrual Hygiene activities	00	125000	125000	00	125000
B.10.7.1	Printing	00	435160	435160	00	435160
B.13	PPP/NGOs	123700	00	123700	00	123700
B.14.8	Construction of public toilet at DH/SDH	134336	00	134336	00	134336
B.14.10	Membership programme for junior officer	149929	00	149929	00	149929
B.16.2.7	Drug and Supplies for RBSK	1680886	00	1680886	00	1680886
		8390935	1316913	9707848	0	9707848

Year	**Head Budget**	**OB**	**Grant Receive**	**Total Available Funds**	**Expenditure**	**CB**
2017-18	**RCH-II Flexible pool**	4224307	556850	4781157	0	4781157
	NRHM Additionalites	8390935	1316913	9707848	0	9707848
		12615242	1873763	14489005	0	14489005

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 मे **RCH-II Flexible pool** कार्यक्रम एवं NRHM Additionalites मे रुपए 1,26,15,242.00 की धनराशि का प्रारम्भिक शेष था तथा उक्त वर्ष मे रुपए 18,73,763.00 का अनुदान प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रुपए 1,44,89,005.00 थी परन्तु वर्ष 2017-18 मे न तो कोई भी कार्य किया गया था और ना ही धनराशि का व्यय हुआ था, यदि उक्त मदों मे धनराशि की आवश्यकता नहीं थी तो उक्त राशि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य को समर्पित किया जाना चाहिए था जिससे की उक्त राशि का अन्य जनपद, जहां आवश्यकता थी व्यय किया जा सकता और मिशन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त कि जा सकती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रुपए 12615242.00 की धनराशि का प्रारम्भिक शेष होना यह भी प्रदर्शित करता है की विगत वर्षो मे भी उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 मे रुपए 14489005.00 की धनराशि अनुपयोगी थी तथा प्रश्नगत मदों मे कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया था जो कार्यक्रम के असफल क्रियान्वयन का परिचायक था।

उपरोक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शेष कार्य शीघ्र करा लिए जाएँगे। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि उपलब्ध होने ए बावजूद कार्य नहीं कराया जाना कार्यक्रम के असफल क्रियान्वयन का परिचायक था।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रु. 144.89 लाख की धनराशि अनुपयोगी रहने तथा प्रश्नगत मदों मे कोई भी कार्य संपादित नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर:3- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआखेड़ागंज का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 17/3/XXVIII-5-2015-14 (घो॰)/2013 दिनांक 22.08.2015 द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा संख्या 496/2013 के अनुपालन मे जनपद ऊधम सिंह नगर के महुआखेड़ागंज मे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के अनावासीय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु रुपए 150.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपए 58.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया था।

प्रश्नगत कार्य हेतु परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप मे चयनित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक मुख्य भवन,टाइप IV के 01 भवन,टाइप II के 02 भवन,टाइप I के 02 तथा 180 मीटर की बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर कार्यालय मे बृहद निर्माण से संबन्धित लेखा-अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदाई संस्था और विभाग के मध्य दिनांक 08.10.2015 को एक ए॰एम॰यू॰ गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 12/2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 12/2017 निर्धारित थी। प्रश्नगत कार्य हेतु, शानदेश संख्या 914/ XXVIII-5-2015-14/2013 दिनांक 06.09.2016 द्वाराटाईप I के दो आवासो हेतु प्राविधानित राशि रुपए 22.24 लाख की धनराशि घटाते हुए स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष राशि रुपए 69.78 लाख (स्वीकृत लागत रुपए 150.00 लाख - प्रथम किश्त रुपए 58.00 लाख = 92.02 लाख - टाईप I की लागत रुपए 22.24 लाख = 69.78 लाख) मे से रुपए 50.00 लाख की धनराशि की द्वितीय किश्त निर्गत की गयी थी। जुलाई 2018 की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार मुख्य भवन 100% टाईप IV की प्रगति 00% टाईप III की प्रगति 50% टाईप II की प्रगति 80% तथा टाईप I के भवन की प्रगति 00% दर्शाया गया था उल्लेखित था कि धनराशी उपलब्ध न होने के कारण कार्य बन्द है, जबकि उक्त कार्य 12/2017 मे पूर्ण होना था।। कार्य हेतु गठित एवं स्वीकृत आगणन मे टाईप III के आवास स्वीकृत ही नहीं थी ऐसी स्थिति मे टाईप III के आवासो के प्रगति 50% दर्शाने के कोई आधार नहीं था, तथा टाईप I की आवासो को नहीं बनाए जाने के निर्णय के सम्बंध मे भी शासनादेश अथवा आदेश का उल्लेख किया गया था। जुलाई 2018 के एमपीआर मे बाउंड्री वाल के निर्माण का भी कोई उल्लेख नहीं था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री की घोषणा के दो वर्ष कार्य प्रारम्भ किया गया और धनराशि समय से निर्गत नहीं किए जाने के कारण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के आठ माह बाद भी कार्य अपूर्ण था, परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी तथा उससे होने वाले लाभ से स्थानीय जनता वंचित थी, तथा समय बीतने के कारण न तो एम॰ओ॰यू॰ का कोई महत्त्व रह गया तथा उक्त कारण से लागत मे वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यवाही शीघ्र कर ली जाएगी तथा नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आठ माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर

भी कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं भविष्य में कार्य की लागत बढ़ने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः प्राथमिक स्वास्थ केंद्र महुआखेड़ागंज का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-4- सात माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी धनराशि रु0 18000/- को कोषागार/राजकोष मे जमा नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (Volume- v, Part-1), Rule 22(iii) के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank" एवं Rule 21 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "All money received by or tendered to Government servants in their official capacity, shall *without undue delay* be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government account. The money received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the Government Account.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की **मासिक प्राप्तियों** से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माह 01/2018 मे प्राप्त कुल धनराशि रु0 1,21,225/- थी। जिसमे से धनराशि रु0 1.18 लाख निविदा बिक्री से प्राप्त शुल्क था। निविदा बिक्री से कुल प्राप्त धनराशि मे से वर्तमान (08/2018) तक धनराशि रु0 18000/- चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने के बजाय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा, विकास भवन रुद्रपुर में बैंक खाता संख्या- 98450100005129 में दिनांक 30.01.2018 को जमा कर अवरुद्ध पायी गई। उपरोक्त धनराशि चालान फार्म के माध्यम से कोषागार में वर्तमान समय तक लगभग 07 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जमा नहीं करायी गयी थी, जबकि प्राप्त धनराशियों को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। उक्त धनराशि को अब तक कोषागार में जमा न किए जाने पर इस धनराशि का कार्यालय के अन्य कार्यों में व्यय हो जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई के द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये भविष्य के लिए नोट किया तथा बताया कि सम्पूर्ण प्राप्तियों को राजकोष मे जमा किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण प्राप्तियों को राजकोष मे जमा नहीं किया जा रहा था। अत: धनराशि रु0 18000/- को विगत 07 माह से राजकोष मे जमा नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- विगत तीन वर्षो मे आवश्यकतानुसार बजट की मांग नहीं किए जाने के कारण अवशेष राशि रुपए 183.1 लाख का समर्पण वर्ष के अन्त में किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके।

मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर के बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत तीन वर्षो (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) मे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा रुपए **183.1** लाख की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था, जिसका विवरण निमन्वत था-

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**कुल समर्पित राशि**
	आवंटन	**व्यय**	**शेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**शेष**	
2015-16	384.94	322.72	62.22	270.51	267.54	2.97	65.19
2016-17	394.42	353.64	40.78	268.88	249.53	19.35	60.13
2017-18	346.98	330.38	16.60	151.89	110.71	41.18	57.78
योग	**1126.34**	**1006.74**	**119.6**	**691.28**	**627.78**	**63.5**	**183.1**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजट अनुमान लगाया जा रहा था और बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी तथा विगत तीन वर्षो मे अवशेष राशि रुपए **183.11** लाख की धनराशि का समर्पण वर्ष के अन्त मे किया गया था, जिस कारण उक्त राशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि भविष्य में आवश्यकतानुसार बजट की मांग की जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट की मांग पिछले वित्तीयवर्षों में भी आवश्यकतानुसार ही की जानी चाहिए थी।

अतः विगत तीन वर्षो मे आवश्यकतानुसार बजट की मांग नहीं किए जाने के कारण अवशेष राशि रुपए **183.1** लाख का समपर्ण वर्ष के अन्त में किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एंवम द्वितीय स्तरीय की चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना है तथा जनपद के अन्तर्गत संचालित अधीनस्थ इकाइयों से यथा आवश्यक सूचनाएँ/ आकड़ें प्राप्त कर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित करना है, तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवण करना है।

जनपद ऊधम सिंह नगर एक औदद्योगिक नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे श्रमिक निवास करते हैं तथा यहाँ पर देश के विभिन्न स्थानो से व्यापारियों का आवागमन होता है। ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के सफल संचालन हेतु प्रयाप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक क्रमचरियों की अत्याधिक कमी थी, कुल 39 संवर्ग मे चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो के 97 पद स्वीकृत थे उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 40 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो तैनात थे, तथा कनिष्ठ सहायक पद पर 03 तैनाती अधिक अर्थात अधिसंख्यक पद पर कार्यरत थे,और 57 पद रिक्त थे।

रिक्त पदो का विवरण विवरण निमन्वत था-

क्रं सं	कार्यालय/इकाई का नाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद	रिक्त पद
1	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	5	2	3
2	नेत्र सर्जन सचल दल	1	0	1
3	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भंडार	1	0	1
4	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी	1	0	1
5	जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी	1	0	1
6	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	2	0	2
7	चिकित्सा अधिकारी	2	0	2
8	पी॰एन॰ओ॰	1	0	1
9	सिस्टर टियूटर	2	0	2
10	पी॰एच॰एन॰	2	1	1
11	सैनिटेरियन	1	0	1
12	उपचारिका सचल दल	1	0	1
13	चीफ फार्मेसिस्ट	1	0	1
14	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक	1	0	1
15	अवर अभियंता	1	0	1
16	वरिष्ठ वायक्तिक सहायक	1	0	1

17	प्राशासनिक अधिकारी	1	0	1
18	एक्सरे टेकनीशियन	1	0	1
19	प्रयोगशाला प्राविदिज्ञ एल॰सी॰यू॰	3	2	1
20	फिजियोथ्रेपिस्ट एल॰सी॰यू॰	1	0	1
21	एन॰एम॰ए॰	21	2	19
22	टी॰बी॰ ट्रीटमेंट आर्गनाइजर	1	0	1
23	वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी	2	0	2
24	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	8	7	1
25	वाहन चालक	6	1	5
26	चपरासी	6	3	3
27	स्वच्छक	3	2	1
				57

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे,ऊपर दिये हुए 97 पदों के सापेक्ष मात्र 40 पदो पर तैनाती हुई थी और 57 पद (58.76%) रिक्त थे,(पदवार विस्तृत विवरण संलग्न)। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालनओं तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि स्टाफ की कमी के कारण निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है लेकिन कम मानव संसाधनों में ही बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। उत्तर विरोधाभाषी होने के कारण लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि यदि कम मानव संसाधनों में ही बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराना संभव होता तो कार्यालय द्वारा स्टाफ की कमी के संबंध में बार-बार महानिदेशालय से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होती।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3 निर्माण कार्य पर धनराशि रु0 5.45 लाख व्यय करने के पश्चात भी उद्देश्य की प्राप्ति अप्राप्त रहना।

(i) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 778(1)/XXVIII-5-2010-02CM (घो0)/2009, दिनांक 01.06.2011 के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन मे जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिनेशपुर को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण की सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रथम चरण हेतु रुपए 8.94 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि **रु0 05.02 लाख** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तथा

(ii) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 946/XXVIII-5-2012-64, दिनांक 18.07.2012 के द्वारा, राज्यपाल द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन मे जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति फार्म मे 06 बैड का महिला वार्ड के निर्माण हेतु प्रथम चरण के आगण रु0 0.90 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि **रु0 0.43 लाख** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को अवमुक्त किया गया था।

प्रश्नगत कार्यों हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की इकाई को कार्यदायी संस्था के रूप मे चयनित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिनेशपुर को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाना था।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति फार्म मे 06 बैड का महिला वार्ड का निर्माण किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर कार्यालय मे निर्माण से संबन्धित लेखा-अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदाई संस्था और विभाग के मध्य दोनों कार्यों को किए जाने हेतु अलग- अलग <u>समझौता ज्ञापन</u> गठित किया गया था। जिसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिनेशपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति फार्म के **प्रथम चरण** के कार्यों को प्रारम्भ करने की तिथि 07/2011 व 09/2012 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 11/2012 व 12/2012 क्रमश: निर्धारित थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिनेशपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति फार्म के Utilization certificate के अनुसार **प्रथम चरण** का कार्य (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) दिनांक 24.12.2011 व 19.01.2013 को क्रमश: 100% किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पत्रांक 1031/स्वास्थ्य विभाग/28, दिनांक 28.10.2015 के अनुसार विभागीय टी0ए0सी0 उपरान्त जिला ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्तिफार्म सितारगंज मे महिला वार्ड के **<u>द्वितीय चरण</u>** के निर्माण कार्य संबन्धित आगणन जिसमे औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि रु0 495.42 लाख व 66.06 लाख थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधमसिंह नगर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। स्पष्ट है कि प्रथम चरण का कार्य लगभग 07 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान (08/2018) तक कार्य बन्द पड़ा हुआ था। उक्त कारण से लागत मे वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा समय बीतने के कारण न तो ज्ञापन समझौता का कोई महत्व रह गया और न ही उद्देश्य की प्राप्ति का। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य पर धनराशि रु0 5.45 लाख (5.02+0.43) व्यय करने के बाद भी कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी तथा उससे होने वाले लाभ से स्थानीय जनता वंचित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे तथ्य एवं आकणों की पुष्टि करते हुये बताया कि निर्माण कार्य को यथा समय पूर्ण करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं महानिदेशालय स्तर से निर्देशित किया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि प्रथम चरण का कार्य लगभग 07 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के पश्चात भी वर्तमान (08/2018) तक कार्य बन्द पड़ा हुआ था।

अत: निर्माण कार्य पर धनराशि रु0 5.45 लाख व्यय करने के पश्चात भी उद्देश्य की प्राप्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:4- धनराशि रु0 48000/- से अधिक के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी नहीं किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्तसामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003 के अनुसार निष्प्रोजय वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाये।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। ऐसा करने की स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा

पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के अवधि 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य **वाहन** से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 1998 से 2016 तक लगभग पिछले 20 वर्षों से कुल 08 वाहन निम्नसूची के अनुसार धनराशि **रु0 48000/-** से अधिक के वाहन आफ रोड/निष्प्रयोज्य पड़े हुये थे।

क्र0 स0	**वाहन का नान**	**पंजीकरण संख्या**	**मैक/माडल**	**निष्प्रयोज्य वर्ष**	**निर्धारित न्यूनतम मूल्य**
01	मारुति जिप्सी	UA06-5273	-	2016	-
02	महेन्द्रा जीप	UA06-0462	-	2015	-
03	मारुति जिप्सी/ट्रेक्स	UP32F-8349	1980	1998	30000
04	मारुति जिप्सी	UGI-0791	1980	1998	6000
05	मारुति जिप्सी	UP32A-7906	1980	2006	12000
06	महेंद्र वैन	UA04A0265	-	2014	-
07	एल0जी0वी0 ट्रक	UP32Z-6002	-	2010	-
08	एल0एम0वी0एम0एण्डएम0	UA06-0461	-	2016	-
	योग				**48000/-**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि **रु0 48000.00** मूल्य से अधिक के आठ वाहन लगभग 20 वर्ष की लम्बी अवधि से आफ रोड/ख़राब/निष्परोजय पड़े हुए थे, जिनकी नियमानुसार निष्प्रोजय होने के तुरंत 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी तथा यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती थी।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2013 के अनुसार 03 वाहनो को छोड़ कर अन्य वाहनो का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि वाहन लम्बी अवधि से अक्रियशील पड़े हुये थे। सम्भागीय परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के बाद लगभग 06 वर्ष बीत जाने पर भी वाहनो की नीलामी नहीं की गयी थी। इकाई के द्वारा वाहनो की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप उक्त वाहनो के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त वाहनो के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानी होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि करते हुये बताया की वाहनो की नीलामी हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई के द्वारा उक्त नियमानुसार निष्प्रयोज्य वाहनों नीलामी नहीं की गयी थी।

अत: धनराशि रु0 48000/- से अधिक के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
119/2005-07	1,2,3,4,5, एवं 6	1 एवं 2	-
201/2006-07	1 एवं 2	1,2,3,4,5,6,7 एवं 8	-
227/2008-09	3 एवं 4	1,2,3,4 एवं 5	-
125/2013-14	-	1	1 एवं 2
100/2015-16	-	1,2,3,4,5,6 एवं 7	1,2,3 एवं 4
56/2017-18	-	1,2,3,4,5 एवं 6	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
119/2005-07	1,2,3,4,5, एवं 6	1 एवं 2	-	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
201/2006-07	1 एवं 2	1,2,3,4,5,6,7 एवं 8	-	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
227/2008-09	3 एवं 4	1,2,3,4 एवं 5	-	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
125/2013-14	-	1	1 एवं 2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
100/2015-16	-	1,2,3,4,5,6 एवं 7	1,2,3 एवं 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
56/2017-18	-	1,2,3,4,5 एवं 6	1 एवं 2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

भाग-V

आभार

1- संबंधी कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

(ii) **सतत् अनियमितताएः** शून्य

2- **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	डाक्टर आर0 के0 पाण्डेय	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	06.05.2017 से 07.11.2017
02	डाक्टर एस0 के0 साह	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	07.11.2017 से 28.04.2018
03	डाक्टर शैलजा भट्ट	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	28.04.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.